तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज विशम्भर सिंह बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र विविध नंबर 08/2021 बाबत कन्टेम्ट आदेश दिनांक 30.03.2021 (2021/72)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत निगरानी संख्या 08/2021 जिसमें पारित स्थगन आदेश दिनांक 30.03.2021 की अवहेलना किए जाने के संबंध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किए गए कन्टेम्ट प्रार्थना पत्र जिसमें अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश दिनांक 30.03.2021 की अवहेलना किए जाने के कारण दण्डित किए जाने व स्थगन आदेश के बाद किए गए निर्माण को ध्वस्त किए जाने तथा ठेकेदारों द्वारा किए गए अवैद्य निर्माण का भुगतान नहीं किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीगण की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत निगरानी संख्या 08/2021 जो कि जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 19.03.2020 के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्तुत की गई है, में अदालत हाजा की ओर से जारी स्थगन आदेश दिनांक 30.03.2021 की अवहेलना अप्रार्थीगण की ओर से किए जाने के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है। जिला कलक्टर की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 पंचायती राज अधिनियम के तहत पारित नहीं किया जाकर राजस्थान भू राजस्व आवंटन नियम 1963 के तहत पारित किए जाने के कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी संख्या 08/2021 अदालत हाजा में मैन्टनेबल नहीं होने के कारण निर्णय दिनांक 17.10.2023 के द्वारा खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को चलाए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कन्टेम्ट संबंधी प्रार्थना पत्र भी प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किए बिना इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 17.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (साँवर मल वर्मा) संभागीय आयुक्त भरतपुर	